Monday, 08 February, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३८, १९६०/१८८१ (शक)

[८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 13-5-... 8/11/83
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३८ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३८—अंक १ से १०—८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)] पृष्ठ

अंक १—सोमवार ८ फरवरी १९६०/१९ माघ, १८८१(शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश . . . ९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ९–१०

श्री एम० सी० शाह का निधन . १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १०—१२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १२

त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३

मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना। १३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४—१७

अंक २—मंगलवर, ९ फरवरी, १९६०/२० माघ १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९ . १९—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३१ . ४४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३ ४९—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५९—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६२—६४

विषय	पृष्ठ
विशेषाधिकार का प्रश्न--	
लोक सभा की कार्यवाही से निकाले गये अंश का फ्री प्रैस जरनल, बम्बई द्वारा प्रकाशन	६४
भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य--	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	६५–६६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	६६–६७
जिनेवा अभिसमय विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६७–८८
खंड २ से २० और १	८७
संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	८७--८८
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	८८--१०२
कार्य मंत्रणा समिति--	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१०२
दैनिक संक्षेपिका	१०३--०७
अंक ३-- बुधवार, १० फरवरी, १९६०/२१ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२ से ४४	१०९--३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५ से ६४	१३४--४२
अतारांकित प्रश्न संख्या २४ से ५३	१४२--५७
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५७–५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५८--६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
पचपनवां प्रतिवेदन	१६१
तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर की शुद्धि	१६१
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना	१६१--६५
दो विमान दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१६५
खम्भात में तेल के कुएं की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६६

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
सतालीसवां प्रतिवेदन	१६७
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	१६७–२११
खण्ड २ से १२ तथा १ . .	२०४–११
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२११
निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२११–१८
सुपरकांस्टीलेशन विमानों को यात्री मालवाही विमानों में बदलने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२१८–२०
दैनिक संक्षेपिका	२२१–२७
अंक ४—गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०/२२ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ६९, ७१ से ७५, ७८, ८० तथा ८१	२२९–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७६, ७७, ७९ तथा ८२ से ८९ . .	२५१–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से ७७ तथा ७९ से ८१ .	२५८–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर में शुद्धि . .	२६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६८–७०
राज्य सभा से सन्देश	२७१
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रख गये . .	२७१
(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।	
(२) रुई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
एयर-इंडिया इन्टरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हड़ताल ..	२७१-७२
सदस्य द्वारा पद-त्याग . .	२७२
सभापति तालिका	२७२–७३
निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७३–९०

विषय	पृष्ठ
खंड २ से ६, ८ और ९, ७ और १ . . .	२८८–९०
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	२९०
दहेज निषेध विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२९१––९७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२९७––३१२
दैनिक संक्षेपिका	३१३—१८
अंक ५–– शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९० से १०३ . .	३१९––४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४ से ११९ .	३४३––४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से १०८ . .	३४९––५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३५९––६१
सभा का कार्य . .	३६१
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . .	३६१–६२
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३६२––७८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
पचपनवां प्रतिवेदन	३७९
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प . .	३७९––४००
भारत के राष्ट्र मंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . .	४०२–०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—०८
अंक ६—सोमवार, १५ फरवरी, १९६०/२६ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२० से १२४, १२६ से १३०, १३३ और १३४ .	४०९––३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५, १३१, १३२ और १३५ से १४६ .	४३३—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ से १६० . .	४४०—६४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव--	
१. केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	४६४—६८
२. मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से कथित मृत्यु . .	४६८—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०—७१
राज्य सभा से संदेश	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (सामान्य) १९५९–६० . .	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (रेलवे) १९५९–६० .	४७१
खमरिया के आयुध कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . .	४७१—७३
तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर की शुद्धि . .	४७३
भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . .	४७३–७४
बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . . .	४७४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४७४–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४८३—५१३
दैनिक संक्षेपिका	५१४—१८
अंक ७--मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०/२७ माघ, १८८१ (शक) .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ से १५४, १६० तथा १६३ से १६६ .	५१९—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ से १५९, १६१, १६२ तथा १६७ से १७५ .	५४२—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ से १८७ . . .	५४९—५९
स्थगन प्रस्ताव--	
चीन सम्बन्धी नीति में तथाकथित परिवर्तन . . .	५६०—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६२–६३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५६३—९९
दैनिक संक्षेपिका	६०८—१३
अंक ८--बुधवार, १७ फरवरी, १९६०/२८ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७६ से १८७	६०५—२८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२८—३१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २१०	६३२—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २३७ और २३९ से २४२ .	६४३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर में शुद्धि . .	६७१
स्थगन प्रस्ताव—	
सहारा में फ्रांसीसी परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम-सक्रिय बादल के भारत पर से गुजरने की संभावना	६७२–७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७४
पशु निर्दयता निवारण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया.	६७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दमुआ कोयला खान में अचानक पानी भर जाना . .	६७४–७५
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर की शुद्धि .	६७५–७६
रेलवे आय-व्ययक, १९६०–६१—उपस्थापित किया गया .	६७६—९८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	६९८—७२८
दैनिक संक्षेपिका	७२९—३३
अंक ९—गरुवार, १८ फरवरी, १९६०/२९ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१७ से २१९, २२१, २२२, २२४ से २२७ और २३० . .	७३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २२०, २२३, २२८, २२९ और २३१ से २३७	७५९—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २८१ . .	७६४—८१
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	७८१
राज्य सभा से संदेश	७८२–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७८३—८२८
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० जोज़ेफ द्वारा आत्म-हत्या के बारे में आध घंटे की चर्चा	८२८—३४
दैनिक संक्षेपिका . .	८३४—३८

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, १६ फरवरी, १६६०/३० माघ, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४०, २४२ से २४६, २४८ से २५०, २५२ और २५६ से २६२ . . . . ८३६—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४७, २५१, २५३ से २५५ और २६३ से २६६ ८६६—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३०८ . . . ८७१—८८

स्थगन प्रस्ताव—

१. मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में कथित ख़राबी . ८८२—८५

२. भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों सम्बन्धी गड़बड़ . . ८८५—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ८८७—८६

राज्य सभा से संदेश ८८६

कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका . . ८८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति— . . . . . ८८६—६१

सहारा में फ्रांस द्वारा परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम सक्रिय बादल से भारत को संभावित ख़तरे के बारे में वक्तव्य . ८६१—६३

सभा का कार्य ८६४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति . . ८६४–६५

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८६५–६१६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक–(धारा १४ का संशोधन)—श्री बाल्मीकी का—अस्वीकृत ६१६–१७

पिछड़ी जातियां (धार्मिक-संरक्षण) विधेयक—श्री प्रकाश वीर शास्त्री का— विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . ६१७—४७

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याक्कण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ।

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह, जी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क–(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली, (सम्बलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० र० (करीम नगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारगंल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव, (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ, (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० देरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द—(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)

नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)

नाथ पाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न–(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द्र)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प–(क्रमशः)

पाण्डय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर–दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसु मतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगझी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलोल् (दुर्ग)

बाबूनार्थसिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब–(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्ण, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोडा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिदशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंगि)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)
भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा––रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालापाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म–(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची––पूर्व)

मसुरिया, दीन, श्री (फूलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालविया, श्री केशव देव (बस्ती)

मालविया, श्री मोतीलाल (खजुराहो––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––मध्य)

म–(क्रमशः)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वल्लोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनूं)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कल्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री राम सेवक (बारांबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)

रंगाराव, श्री (करीम नगर)

रघुनाथसिंह जो, श्री (बाड़मेर)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)

रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र–(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (चम्पारन––रक्षित––अनूजित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौला, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)

राव, श्री सिरुमल (काकिनाडा)

र–(क्रमशः)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंसुंगग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नानी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व–(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

बोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरप्पा, श्री मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवन चन्द (गुरुदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बारांबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (वालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

स–(क्रमशः)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रताप (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह–(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा,—श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हुडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हुमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुबीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति,**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडार

श्री वै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरूआ

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० अ० कट्टी

श्री भाऊ साहब रावसाहब महाशंकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री बुतुकुरु रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घारे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानूलिंगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनु शंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वम्मी

श्री ले अचौ० सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारयण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपलानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री ब्रजराज सिंह

श्री प्र० के० देव

श्री शिवराज

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या— सभापति

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री कन्हैया लाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री कोडियान

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री टीका राम पालीवाल

श्री रोहित एम० दवे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री त्र० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री —श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मौ० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामघर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ८ फरवरी, १९६०

१९ माघ, १८८१ (शक)

लोक-सभा १२ बजकर ३५ मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री घी० चं० मलिक

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव :** मैं ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अभिभाषण

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, एक बार फिर संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

२. बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र-निर्माण के काम में संलग्न रहे। देहातों और शहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और अपनी स्थिति और रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं।

३. हमारी परम्परागत और सुपरिचित सीमाओं को लांघ कर, भारतीय गणराज्य की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दुख हुआ है और उनमें ठीक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों पर

बहुत भार पड़ा है । हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दुख है और अफसोस भी है । हमारे आपसी सम्बन्धों के निर्धारण के लिये जिन सिद्धान्तों को हमने परस्पर स्वीकार किया था चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनायें घटी हैं । हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने के हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षत्रों में सत्वर और सुविचारित कई कदम उठाये हैं ।

४. मेरी सरकार को खास तौर से इस बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य सीमा पर, जहां हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एकतरफा प्रयोग किया । यह विश्वासघात है, किन्तु उन सिद्धान्तों में जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये आधारभूत मानते हैं अभी भी हमारी आस्था है ।

५. संसद् के सदस्यगण, समय समय पर हमारे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच पत्र व्यवहार के प्रकाशन द्वारा आप को, हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है, उससे अवगत रखा गया है । मेरी सरकार ने यह असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए हम शान्तिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं । उतनी ही स्पष्टता से हम ने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एकतरफा कार्य या निर्णय किया है, वह हमें मान्य नहीं होगा । इसलिए मेरी सरकार, उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर, शान्तिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है ।

६. हम आशा करते हैं कि हमारी कार्यवाही और संसार भर का प्रतिकूल जनमत देर सवेर चीन को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह संधियों और परम्परा द्वारा स्थापित हमारी सामान्य सीमाओं के सम्बन्ध में हम से समझौता करे । केवल इसी प्रकार अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, जिनके लिये हमारी सरकार और भारत के लोग आकांक्षी हैं, यथार्थ हो सकते हैं और दोनों देशों के हित में स्थाई बन सकते हैं । यह आशा की जा सकती है, कि जो कार्यवाही हमने की है और जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है, वह चीन को हमारी नीति और दृढ़ता का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी ।

७. संसद् के सदस्यो, हमारी सीमा पर जो स्थिति पैदा हो गई है और उस से जो समस्याएं और परिणाम निकलते हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने कुछ विस्तार से आप से कहा है । मेरा यह कहना अनावश्यक है कि मैंने जो कुछ भी बताया वह हमारे देश और लोगों की भावनाओं और अपनी सीमाओं की रक्षा के दृढ़ निश्चय को दोहराना मात्र है । किन्तु रक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब उसके पीछे राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता हो । हमारी आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, उत्पादन की योजनाओं पर अधिक तेजी और परिश्रम से अमल, जिससे कि देश को आधुनिक रक्षा के साधन उपलब्ध हो सकें, और इसके साथ ही राष्ट्र में बल और अनुशासन की भावना का संचार हो सके, ये सब बातें ही देश की सुरक्षा का आधार हैं ।

८. चीनी-भारतीय सीमाओं पर घटी घटनायें निस्सन्देह दुखपूर्ण हैं, किन्तु हमें अपने देश की उन्नति और आर्थिक व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के प्रयत्नों को ढीला नहीं करना चाहिये और न हम ऐसा कर रहे हैं । वास्तव में इन घटनाओं के कारण मेरी सरकार आर्थिक विकास को अधिक गतिमय और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठा रही है ।

९. तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का काम कुछ और आगे बढ़ा है । इस योजना का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसके लक्ष्य अधिक ऊंचे हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय, १९५०-५१ के मुकाबले में राष्ट्रीय आय को लगभग दोगुना करना और कृषि उत्पादन तथा

हमारी खुराक की जरूरतों, भारी मशीनी औजार निर्माण और लोहा, ईंधन तथा बिजली जैसे मौलिक उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना है। छोटी और ग्रामीण दस्तकारियों का और हमारी देहाती आर्थिक व्यवस्था का स्वस्थ और अविलम्ब विकास और औद्योगिक केन्द्रों तथा देहाती लोगों के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करना, ये बातें उस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

१०. तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्रीय विकास के नाजुक दौर की द्योतक है। इसका ध्येय हमारी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इस योग्य करना है कि इस से हमारे उत्पादन के साधन बढ़ सकें और उनका आप से विस्तार हो सके। इसके लिए लोगों से निरन्तर प्रयास करते रहने और धैर्य रखने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हमारी तीसरी योजना में इस की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और आगामी चौथी योजना की ज़रूरतों को सामने रखा गया है। विदेशी सहायता और ऋण के लिए, जो हमारे विकास की मौजूदा हालत में ज़रुरी हैं, हम आभारी हैं, किन्तु अपने ही हित में और अपने अच्छे और उदार मित्रों के हित में और संसार के अर्धविकसित क्षत्रों की आवश्यकताओं की दृष्टि से, हमें निर्भरता से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए।

११. देश की विदेशी-मुद्रा-स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी और वह प्रायः यथापूर्व है। इसलिए मेरी सरकार व्यापार के लिए ऐसी नीति अपनाना चाहती है जिससे विदेशी-मुद्रा की आमदनी अधिक हो और इसके लिये वह आयात पर सख्त नियंत्रण करके निर्यात को बढ़ाने में प्रयत्नशील है। मेरी सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह विदेशी वित्त साधनों को सुरक्षित रखकर हमारे अदृश्य निर्यात की मात्रा को बढ़ावे, जिसके लिए अभी भी बहुत बड़ा, अप्रयुक्त और बढ़ता हुआ क्षेत्र हमारे पास है।

१२. हमारा औद्योगिक उत्पादन उन्नति की ओर अग्रसर है। वर्ष के प्रथम दस महीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन १३८ से १४९.३ हुआ है और उत्पादन में दस मात्रा से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सर्वतोमुखी है जिसमें सभी उद्योगों का योगदान है, किन्तु धातु-सम्बन्धी उद्योगों की उन्नति से उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों में उत्पादन १९५९ से आरम्भ हो गया है। कच्चे लोहे के उत्पादन में पचास प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में भी काफी, पर इससे कुछ कम, वृद्धि हुई है।

१३. लोहे और इस्पात के उत्पादन से भारी मशीनों को बनाने की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले से ही अनेक मशीन बनाने की व अन्य योजनाओं को स्वीकृत किया है। इनमें रांची की भारी मशीन योजना और भिलाई में इस्पात उत्पादन को दोगुना करना, भोपाल की भारी बिजली यंत्र निर्माण योजना का विस्तार, और बिजली, खाद और मशीनी औजार बनाने की कई एक योजनाएं शामिल हैं।

१४. रासायनिक उद्योग ने भी सराहनीय प्रगति की है। रंगाई के साधनों, दवाओं, विस्फोटकों और प्लास्टिक के लिये मौलिक कच्चे साधनों की उपलब्धि के लिए एक आरम्भिक मशीन स्थापित की गई है।

१५. अपने रेल विभाग के प्रयत्नों से हम न केवल इंजनों, रेल के डिब्बों, वैगनों, सिगनल और बत्ती के साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि इनका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होता है कि निर्यात के लिए भी कुछ सामान बच रहता है।

१६. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत खान उद्योग भी काफी मात्रा में बढ़े हैं। नयी खोज और अप्रयुक्त क्षेत्र में धातुओं की गहरी छानबीन के लिये, जो हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, भारत के भगर्भ विज्ञान पर्यवेक्षण का विस्तार हुआ है।

१७. एक स्थायी तेल और प्राकृतिक गैस कमिशन की भी स्थापना हुई है। देश के विभिन्न स्थानों में तेल की प्राप्ति की ढूंढ खोज जारी है। तेल के उत्पादन के लिए नहरकटिया में साठ तेल-कूप खोदे गये हैं। यह तेल आसाम और बिहार की सरकारी रिफाइनरीज़ के लिए आवश्यक है। आसाम की रिफाइनरी के निर्माण की प्रगति जारी है।

१८. बिहार में बरौनी की रिफाइनरी को बनाने के हेतु मशीनों और अन्य साधनों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के साथ समझौता किया है।

१९. मेरी सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिए वैज्ञानिकों, तकनीकियों, और टेकनोलोजिस्ट्स की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है। वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि, ऐसे पुराने और नये वैज्ञानिकों के पद ऊंचे करने के लिए नौकरी की अधिक अच्छी सुविधाएं और सुअवसर देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ इन क्षेत्रों में नौकरी के सुअवसर नित्य बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तरीकों पर आधारित हमारे योजना-बद्ध विकास के लिए यह परमावश्यक है।

२०. हमारे एटमिक विभाग ने बड़ी सराहनीय प्रगति की है। आइसोटोप का अधिक उत्पादन, ईंधन तत्त्वों का संग्रह, ट्रोम्बे में यूरेनियम मैटल प्लांट, उपयोग में लाये हुए ईंधन से प्लुटोनियम का निकालना और यूरेनियम की खान का संचालन—ये इस विभाग के सफल कार्य रहे हैं। प्रथम न्युक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना का प्रारंभिक कार्य हाथ में है। यूरेनियम, जोकि बिहार में खोदा जाएगा इस प्रथम न्युक्लियर पावर स्टेशन को पर्याप्त कच्चा माल दे सकेगा।

२१. एक लाख ग्रोस टन के जहाज़ भारतीय व्यापारी बेड़े में जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड और एक वैधानिक नानलैप्सिंग शिपिंग विकास फंड की स्थापना की गयी है। भारतीय जहाज़रानी को, जिसे स्वाधीनता से पहले बहुत अवरोध सहने पड़े, अब विकास और आधुनिकीकरण के लिए बराबर हर सम्भव सहायता मिलती रहेगी। मेरी सरकार देश की अर्थ यवस्था में व्यापारी बेड़े के महत्व को समझती है। विदेशी मुद्रा के उपार्जन और उसे सुरक्षित रखने के लिए और हमारे लम्बे तट की रक्षा के कार्य में सहायता के रूप में और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए इस बेड़े का बहुत महत्व है।

२२. १९५८ में बनाई गई अनुशासन नियमावली से देश के औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है और उस की कार्यकुशलता में वृद्धि तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५९ में काम के मज़दूर दिनों का नुकसान कहीं कम हुआ है।

२३. राजकीय कर्मचारी बीमा योजना का और अधिक विस्तार किया गया है और अब इस के अन्तर्गत साढे चौदह लाख कारखानों के मज़दूर आते हैं, जबकि योजना के अन्तर्गत दवा दारू की सुविधाओं को मज़दूरों के परिवारों तक बढ़ाकर करीब १२ लाख व्यक्तियों पर और लागू कर दिया गया है।

२४. राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का शिक्षण, लड़कियों की शिक्षा का विस्तार और अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति हुई है, और ये योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

२५. हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता, विस्तार और दृढ़ता के लिए अनाजों के उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। १९५७-५८ में अनाज का उत्पादन ७ करोड़ ३५ लाख टन हुआ और नकदी फसलों की पैदावार में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर कृषि उत्पादन का मूलांक

बढ़ कर १३१ हो गया, जो पिछले किसी भी वर्ष की अपेक्षा १४·३ प्रतिशत अधिक है। किन्तु देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति से निश्चिन्त तो क्या हम सन्तुष्ट भी नहीं हैं। हर वर्ष हमें खाने के लिए और संचय के लिये भारी मात्रा में अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के हम रे क्षीण साधनों पर बहुत दबाव पड़ता है और जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्रतिकूल है। प्रति एकड़ पीछे हमारा उत्पादन एशिया, योरोप और अमरीका के बहुत से देशों के उत्पादन की अपेक्षा कम है। मेरी सरकार वैज्ञानिक खाद्य के उत्पादन और अच्छे बीजों की सप्लाई की तरफ़ अधिक ध्यान दे रही है। किन्तु व्यक्तिगत और रा ट्रीय सम्पन्नता के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की अच्छी जुताई हो, कीड़ों से फसलों की ब बादी को रोका जाय, पशु पालन में सुधार हो, खेती और हाट व्यवस्था में सहकारिता को अधिकाधिक स्थान दिया जाये और आत्मभरित होने के लिए लोग दृढ़-संकल्प हों।

२६. देश के आर्थिक विकास में और राष्ट्र के प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों में लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें, इसके लिये मेरी सरकार ने हमारे महान और बढ़ते हुए प्रजातन्त्र के मौलिक स्तर पर जन-साधारण की संस्थाओं के पक्ष में विकेन्द्रीयकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। "पंचायती राज" की यह योजना राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहले ही लागू हो चुकी है और दूसरे राज्यों में शुरू होने जा रही है। "पंचायती राज" प्रणाली को कुशल बनाने के लिये सभी श्रेणियों के गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

२७. प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस दिशा में उत्पादन और उसके साधन दोनों के विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं और उन पर उत्तरोत्तर अमल किया जायगा।

२८. आगामी वर्ष में मेरी सरकार ने नेशनल केडिट कोर का विस्तार करने और लड़कियों के लिए नर्सिंग और सहायक टुकड़ियां संगठित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। टैरिटोरियल आर्मी और लोक सहायक सेना की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी और उनकी ट्रेनिंग तथा भावी जिम्मेदारियों में कुछ संशोधन किया जा रहा है।

२९. सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न दलों की सेवा सम्बन्धी परिस्थितियों में कई एक सुधार किये गये हैं।

३०. भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने और अनुशासित जनशक्ति के इस साधन का उपयोग करने पर सरकार बराबर विचार कर रही है। टैक्नीकल और पेशावर ट्रेनिंग तथा पथप्रदर्शन और सहकारी समितियों द्वारा आत्म-सहायता की योजनाओं को चालू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनः संस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और यह सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों में उचित आशा, उत्साह और स्थिरता की भावना का संचार करने का साधन है।

३१. संसद् के सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केरल राज्य के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक-सभा और राज्य सभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिए जितनी भी जल्दी सम्भव हो चुनाव किये जायें। तदनुसार साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में १ फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। शीघ्र ही उद्घोषणा को वापस ले राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

३२. संसद् के पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सदस्यों के लिए लोक-सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में सीटें सुरक्षित रखने सम्बन्धी अभिरक्षण को १० साल तक और

बढ़ाने का निश्चय किया गया था, और इस निर्णय से सम्बन्धित संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम के लिए मैं अपनी स्वीकृति दे चुका हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में जांच के लिए सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

३३. १९५९ में संसद् ने ६३ विधेयक पारित किये। १५ विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

दि ऐटमिक एनर्जी बिल।

दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल।

दि एग्रीकलचरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन बिल

दि फारवर्ड कांट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट बिल।

दी इंडिया पेटैंट्स एंड डिज़ाइन्स बिल।

दि एम्पलाईज़ प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल।

दि डौक वर्कर्स (रेग्यूलेशन आव एम्पलायमेंट) बिल।

दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल।

दि सैंट्रल मेटर्निटी बेनिफ़िट बिल।

दि इंडियन सेल आव गुड्स (अमेंडमेंट) बिल।

दि रिलिज्यस ट्रस्ट्स बिल।

दि टू-मेम्बर कांस्टिट्यूऐंसीज़ (अबोलीशन) बिल।

और, दि पेमैंट आव वेजेस (अमेंडमेंट) बिल।

३४. मौजूदा बम्बई राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के संस्थापन के लिए मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

३५. वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। जगन्नाथदास आयोग जांच के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेन्शन आदि में वृद्धि के कारण, अनुमान है, करीब ३१ करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय बैठेगा।

३६. १९६०-६१ वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

३७. संसार में तनाव की भावना में ढिलाई और नि:शस्त्रीकरण और शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर के सम्मेलनों की संभावनाओं पर मेरी सरकार सन्तोष प्रगट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ की मन्त्री परिषद् के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रशंसा और सद्भावना के अधिकारी हैं। स्वेच्छा से अपने अपने देश में न्यूक्लीयर विस्फोटों के स्थगन को जारी रखने और इन समस्याओं को सुलझाने के लिये अमेरिका और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि जन-विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होना चाहिए।

३८. बड़े राष्ट्रों के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की सफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शान्ति के लिए और शस्त्रास्त्रों के संचय की दौड़ को रोकने की सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

३९. शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और द्वेषों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई घटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देंगे बल्कि आपसी झगड़ों के निपटारे के लिये युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियों और साधनों को शान्तिपूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

४०. हमारी सरकार और लोग संसार में शान्ति और सहयोग बनाये रखने के लिये तत्पर हैं। वे शान्तिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दृष्टिकोण, हमारा विश्वास और व्यवहार और हमारे लोगों की उत्कट इच्छायें तथा धारणायें हैं, स्थिर रहने के लिये दृढ़-संकल्प हैं। इस नीति का संसद् ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

४१. मुझे कम्बोडिया, वियतनाम गणराज्य, वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य, लाओस और श्रीलंका की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा सुखद और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

४२. मुझे अपने देश की राजधानी में अमेरिका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति का स्वागत करने का हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शक्ति और महानताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विश्व शान्ति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं। सोवियत संघ की मंत्री परिषद् के अध्यक्ष, श्री ख्रुश्चेव के आगमन की, जो संसार में एक और शान्ति दूत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण और शान्ति की खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्भावना और नैतिक समर्थन होगा।

४३. मेरी सरकार को अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, घाना, नेपाल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, महामहिम मुरक्को सम्राट और फिनलैंड के प्रधान मंत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे हैं।

४४. हमारे उपराष्ट्रपति ने फिलिपीन्स, नारवे, स्वीडन, डेन्मार्क और फिनलैंड की यात्रा की और इन सभी जगह की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

४५. हमारे प्रधान मंत्री ने अफ़गानिस्तान, ईरान और नेपाल की यात्रा की और वहां उनका सद्भावना से ओतप्रोत स्वागत हुआ।

४६. भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के यहां यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और निकटता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उसके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

४७. राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेश नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति अधिक सद्भावना पैदा हुई।

४८. मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों पर समझौता हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फलस्वरूप हमारे

पड़ौसी के साथ, जिससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी हमेशा इच्छा रही है, सीमा निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा ।

४९. भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मामलों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरों के पानी सम्बन्धी पुराना झगड़ा शीघ्र ही तय हो जायेगा । इन घटनाओं का, जिनसे हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आयेंगे, मैं स्वागत करता हूं ।

५०. गत २५ सितम्बर, १९५९ को स्वर्गीय एस० डब्ल्यू० आर० डी० भंडारनायके , श्रीलंका के प्रधान मंत्री, की हत्या के समाचार मे भारत के लोगों और सरकार को बहुत दुख हुआ और चोट पहुंची । वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आये थे । श्रीमती भंडारनायके, उनके बच्चों और श्रीलंका के लोगों और सरकार के प्रति हम ने हार्दिक संमवेदना प्रकट की ।

५१. संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आज़ादी की समस्या, विशेषकर अल्जीरिया के लोगों के निरन्तर स्वातंत्र्य युद्ध के प्रति, हमारे देश के लोगों की सहानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की ।

५२. केमरून की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं । हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में अफ्रीका के कई और उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे ।

५३. दक्षिण अफ्रीकी संघ की सरकार की जाति के आधार पर पृथकता की नीति के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को जो उस देश के नागरिक हैं अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं । इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं । यह नीति संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के पिछले सत्र में इस नीति की फिर से घोर निन्दा की गई ।

५४. मेरी सरकार ने दक्षिण अमेरिका में क्यूबा, वेनवेज्ला और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका में गिन्नी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है ।

५५. संसद् के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनायें, सफलतायें और चिन्तायें रखी हैं । मैंने आप को उन सब महान कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं । ये सब आपके गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती हैं । हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शान्ति में हमारे योगदान के लिये, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी सूझबूझ तथा सहयोग की आवश्यकता है । इस प्रकार संसद् संविधान के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी ।

५६. हम ने इस वर्ष अपने नन्हे गणराज्य की १०वीं वर्षगांठ मनायी । हमारा संविधान, जो हमने अपने लिये निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता से ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उस में शक्ति का संचार हुआ । मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं से हमारे प्रजातंत्र को बल मिला और उस में आर्थिक और सामाजिक कल्याण की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है ।

५७. हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातंत्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार विकसित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें प्रेरणा मिली । अपने नन्हे गणराज्य के इस ११वें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ, किन्तु अत्यधिक निश्चिन्तता के साथ नहीं, देख सकते हैं । हमारे सामने जो कार्य हैं, वे विशाल हैं उन्हें सम्पन्न करने के लिए

अपने लोगों और देश के प्रशासन में निरंतर सतर्कता, अधिकाधिक दृढ़ता, अनुशासन और उद्देश्य की भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिए हमारा प्रजातंत्र यथार्थ और सच्चा हो सकता है।

५८. हमारे विस्तृत साधन और हमारे लोगों की योग्यतायें, निर्माण और उन्नति के उस महान कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने हैं। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक और विचारणीय है कि हमारे प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना लाई जाय, कार्यप्रणाली को सरल और सुबोध बनाया जाय और उसे इस प्रकार चलाया जाय कि उस में सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाय और जनशक्ति तथा समय का अपव्यय न हो।

५९. मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनको कार्यान्वित होने में जो समय लगता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों और आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों के लोग हमारी योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मोपयोगिता और गर्व की भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतन्त्रता से मिली हैं।

६०. मेरी सरकार मातृभूमि की स्वाधीनता और हमारे लोगों की गरिमा को बनाये रखने, एकता की भावना को प्रोत्साहित करने, सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने और ऐसे प्रजातंत्रात्मक समाजवादी समाज का गठन करने के लिये, जिसमें उन्नति लोगों की सहमति और शान्तिपूर्ण ढंग से ही प्राप्त की जाय, संगठित करने के लिए कृतसंकल्प है।

६१. संसद् के सदस्यगण, अब मैं आप के नये सत्र का काम आपको सौंपता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। मेरी यह सत्याकांक्षा है कि बुद्धिमानी, सहिष्णुता और सहयोग की भावना आपके प्रयत्नों का मार्ग दर्शन करें। आपके प्रयत्न, देश के और देशवासियों के तथा समस्त विश्व के, जिसकी सेवा करना हमारे लिये गौरव का विषय है, हित में सफल हों, यही मेरी प्रार्थना है।

संसदीय समितियां—कार्य-सारांश

†**सचिव :** मैं दूसरी लोक सभा के नवें सत्र के बारे में "संसदीय समितियां—कार्य-सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

दहेज निषेध विधेयक

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं दहेज निषेध विधेयक, १९५९ को, जिसे राज्य-सभा ने संशोधनों सहित लौटाया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २१ दिसम्बर, १९५९ को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (संख्या ८) विधेयक, १९५९

(२) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५९

---

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

(३) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक, १९५९

(४) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५९

(५) विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक, १९५९

श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २१ दिसम्बर, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं—

(१) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५९

(२) केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५९

(३) हज समिति विधेयक, १९५९

(४) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५९

(५) शस्त्र विधेयक, १९५९

(६) आंध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९

(७) भारतीय सांख्यकीय संस्था विधेयक, १९५९

(८) खान (संशोधन) विधेयक, १९५९

(९) संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री एम० सी० शाह का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री एम० सी० शाह का ९ जनवरी, १९६० को अहमदाबाद में देहान्त हो गया। उनकी आयु ६५ वर्ष थी।

श्री एम० सी० शाह १९५०-५२ में अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य रहे थे। वह १९५२-५४ में वित्त उपमंत्री और १९५४-५७ में राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री भी रह चुके थे।

मुझे विश्वास है कि सभा के सदस्य श्री शाह के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना प्रकट करने में सम्मिलित होंगे और एक मिनट के लिये मौन खड़े हो कर अपना शोक प्रकट करेंगे।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०टी०—१८५४।६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई श्रमिक कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५७ में प्रकाशित बम्बई श्रमिक कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी--१८५५।६०]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ४, दिनांक २३ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या ८८ द्वारा शुद्ध किये गये रूप में, दिनांक ९ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३२, और दिनांक १६ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ५३ तथा ५४ ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३० ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी--१८५६।६०]

पिम्परी पेनिसिलीन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से पिम्परी पेनिसिलीन के उस बैच के बारे में जिस में से स्वर्गीय श्री वि० द० त्रिपाठी के इलाज के लिये शीशी ली गई थी, विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये परीक्षणों के परिणामों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी--१८५७।६०]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी--१८५८।६०]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा

[डा० ब० गोपाल रेड्डी]

प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ को जी० एस० आर० संख्या १३८८ ।

(दो) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३९० ।

(तीन) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३९१ ।

(चार) दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ७ ।

(पांच) दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी—१८५९।६०]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियमों में संशोधन

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी—१८६०।६०]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियमों में संशोधन

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी—१८६१।६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एलटी—१८६२।६०]

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** श्रीमान्, मैं दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपूरा भूराजस्व और भूमि सूधार विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र में भू-राजस्व सम्बन्धी कानून को समेकित तथा संशोधित करने तथा सम्पद ओं के अर्जन और भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ अन्य उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मनीपुर भूराजस्व और (भूमि सूधार) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**गृहकार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में भू-राजस्व सम्बन्धी कानून को समेकित तथा संशोधित करने तथा भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी उपस्थापित करता हूं।

समवाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान के लिये समय का बढ़ाया जाना

†**सरदार हुकम सिंह (भटिंडा)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, ९ फरवरी, १९६०।२० माघ, १८८१ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, ८ फरवरी, १९६०
१९ माघ, १८८१ (शक)]

विषय पृष्ठ

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . . १—९

श्री धी० चं० मल्लिक ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण की और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . ९

सचिव ने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ९—१०

(एक) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखे :—

(१) विनियोग (संख्या ८) विधेयक, १९५९ ।

(२) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५९ ।

(३) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक, १९५९ ।

(४) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(५) विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक, १९५९ ।

(दो) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा को दी गई अंतिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां सभा-पटल पर रखीं :—

(१) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५९ ।

(२) केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५९ ।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति : (जारी)

(३) हज समिति विधेयक, १९५९ ।

(४) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(६) आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ ।

(७) भारतीय सांख्यकीय संस्था विधेयक, १९५९ ।

(८) खान (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(९) संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . .

अध्यक्ष महोदय ने श्री एम० सी० शाह के, जो अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १०—१२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६० की एक प्रति ।

(२) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की भारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधि सूचना संख्या जी० एस० आर० १३५७ में प्रकाशित बम्बई श्रमिक कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, १९५९ की एक प्रति ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति ।

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ४, दिनांक २३ जनवरी, १९६० की

विषय। पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र : (जारी)

अधिसूचना संख्या ८८ द्वारा शुद्ध किये गये रूप में, दिनांक ६ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३२, और दिनांक १६ जनवरी, १९६० को जी० एस० आर० संख्या ५३ तथा ५४।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३०।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३१।

(४) पिम्परी पेनिसिलीन के उस बैच के बारे में जिस में से स्वर्गीय श्री वि० द० त्रिपाठी के इलाज के लिये शीशी ली गई थी, विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये परीक्षणों के परिणामों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८७ की एक प्रति।

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३८३।

(दो) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३९०।

(तीन) दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३९१।

(चार) दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ७।

(पांच) दिनांक २ जनवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९।

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९२ की एक प्रति।

(८) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६० की एक प्रति।

(९) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६२ की एक प्रति।

(१०) दूसरी लोक सभा के नवें सत्र के बारे में "संसदीय समितियां—कार्य का सारांश" की एक प्रति—

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन—उपस्थापित १२–१३

गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) ने निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित किये :—

(१) दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन।

(२) त्रिपुरा भूराजस्व और भूमि सुधार विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन।

(३) मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना १३

सरदार हुक्म सिंह ने प्रस्ताव किया कि समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियम समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।

९ फरवरी, १९६०/२० माघ, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि—

जिनेवा अभिसमय विधेयक तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना।